(7) संकुचित समुदायों को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति — अनेक बार व्यक्ति अपने धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक समुदायों को ज्यादा महत्व देते हैं तथा राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करते हैं जो आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा पहुँचाती है।

(8) सामाजिक कुप्रथाएँ — आदर्श नागरिकता के मार्ग में सामाजिक कुप्रथाएँ भी बाधक होती हैं, जैसे भारतीय समाज में अस्पृश्यता, जाति-पाँति का भेद, बाल-विवाह, दहेज-प्रथा ~~और~~ इसी प्रकार की हानिकारक कुप्रथाएँ हैं।

(9) शासन की भ्रष्टता — यदि शासन का स्वरूप भ्रष्ट हो, सरकारी अधिकारी कर्तव्य पालन में उदासीन हों और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हों, तो इसका ~~प्रभाव~~ प्रभाव नागरिकों के चरित्र पर पड़ता है, जिससे वे एक आदर्श नागरिक के रूप में अपना जीवन नहीं सकते।

(10) उग्र राष्ट्रीयता — उग्र राष्ट्रीयता नागरिकों को यह सोचने को प्रेरित करती है कि उसका राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। और यह विचार आदर्श नागरिकता के अन्तर्राष्ट्रीय संदेश 'जीओ और जीने दो' की भावना के विरुद्ध है।

उपरोक्त बाधाओं को हम नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ~~प्रयास~~ दूर करने का प्रयास करके आदर्श नागरिकता के निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए निम्न प्रयास किये जाने चाहिए —

(1) नैतिकता का उत्थान — आदर्श नागरिकता रूपी भवन का निर्माण नैतिकता रूपी नींव के आधार पर ही किया जा सकता है। नैतिकता के उत्थान में परिवार, कुटुम्ब और शिक्षण संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होती है। यदि ~~स्त्रियाँ~~ माताएँ शिक्षित हों, घर में प्रेम और सहिष्णुता का वातावरण हो, अनुशासन और सामान्य आर्थिक संपन्नता का वातावरण हो, तो ठीक प्रकार के संस्कार के आधार पर नैतिक जीवन की नींव रखी जा सकती है। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी विद्यार्थियों ~~को~~ को नैतिक जीवन का मूल्य और महत्व समझाया जाना चाहिए।

(2) स्वस्थ राजनीतिक दलों की स्थापना — आदर्श नागरिकता के लिए यह जरूरी है कि नागरिकों को राज्य की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान हो। इन बातों की सही जानकारी राजनीतिक दलों द्वारा ही नागरिकों को दी जाती है।

Scanned with CamScanner

3. शिक्षा का प्रसार – शिक्षा स्वस्थ नागरिकता का प्रमुख आधार है। शिक्षा को महात्मा गाँधी ने 'आत्मा की खुराक' कहकर पुकारा था। शिक्षा के अधिकाधिक प्रचार से ही नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

4. आर्थिक विषमताओं में कमी और सभी के लिए न्यूनतम आर्थिक सुविधा की उपलब्धता – इसका तात्पर्य है कि (a) नागरिकों में धन के असमान वितरण को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम आर्थिक सुविधा अर्थात सभी को भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकताएँ अनिवार्य रूप से पूरी की जानी चाहिए।

(5) स्वतंत्र और शक्तिशाली प्रेस – स्वतंत्र व शक्तिशाली प्रेस सही सूचनाओं को जनता तक पहुँचाते हैं तथा जनता और सरकार के बीच महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सही सूचनाओं के माध्यम से जनता को भी अपने विचार को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है।

(6) सामाजिक कुरीतियों का निवारण – अव्यवहारिक सामाजिक प्रथाओं को अपनाने से सामाजिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। जैसे भारत में जातिवाद, अस्पृश्यता जैसी प्रथाओं का त्याग अनिवार्य है। इसके रहते आदर्श नागरिकता के लक्ष्य को प्राप्त संभव नहीं है।

(7) सुव्यवस्थित और जनहितकारी शासन व्यवस्था – शासन के संचालन का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होना चाहिए। शासक की चारित्रिक अनुकरणीय होना चाहिए ताकि आम जनता उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके।

(8) विश्व बंधुत्व की भावना – आदर्श नागरिकता का विचार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा पर आधारित होता है। इसलिए आदर्श नागरिक द्वारा अपने देश के कल्याण का प्रयास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इससे विश्व के अन्य देशों की प्रगति में बाधा न पहुँचे।

अन्त में, 'आदर्श नागरिकता के सम्बन्ध में लास्की द्वारा व्यक्त इस कथन से हम सहमत हैं कि "नागरिकता मानव के श्रेष्ठतम गुणों का जनकल्याण में प्रयोग है।" वास्तव में एक आदर्श नागरिक अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग राज्य के लाभ हेतु करता है।